



बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

परिवहन भवन, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना-1

Phone No. 0612-2223527



बिहार सरकार

निविदा संख्या - 99


दिनांक 09.01.2018

बिहार-झारखंड, बिहार के अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग एवं बिहार-उत्तर प्रदेश के मार्गों पर निगम के अधीन बसों के संचालन हेतु इच्छुक वाहन स्वामी / उद्यमी / संस्था / कम्पनी कृपया ध्यान दें।

बिहार-झारखंड, बिहार के अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग एवं बिहार-उत्तर प्रदेश के मार्गों पर निगम के अधीन सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने एवं विभिन्न शहरों को बस परिचालन से जोड़ने हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत वाहन स्वामियों से आवेदन आमंत्रित करता है। बिहार-झारखंड, बिहार के अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग एवं बिहार-उत्तर प्रदेश के मार्गों की विवरणी एवं परिचालन की शर्तें <http://bsrtc.org.in> पर देखी जा सकती है।

नोट :

निविदा देने की अन्तिम तिथि 12.2.18 को 9.00 बजे अपराह्न तक है। निविदा शुल्क के साथ EMD राशि Chief Account Officer, B.S.R.T.C. Patna के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर भुगतये होगा।


प्रशासक

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)
परिवहन भवन, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-1

बिहार-झारखंड के विभिन्न मार्गों पर निगम के अधीन बसों के संचालन के इच्छुक वाहन स्वामी/ उद्यमी/ संस्था/ कम्पनी कृपया ध्यान दें।

परिचालन की विस्तृत शर्तें :

लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा निम्न शर्तों पर वाहनों का एकरारनामा कर निगम के नियंत्रणाधीन बसों का परिचालन किया जाएगा:-

1. परिचालकों का चयन वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के मॉडल गुणवत्ता एवं उपलब्ध होने वाले यात्री सुविधा के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। प्रत्येक मार्गों के लिए परिचालकों द्वारा प्रतिमाह निगम को निर्धारित राजस्व का भुगतान करना होगा। जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत् है।

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	कि० मी०	वाहन स्वामी द्वारा प्रतिमाह प्रति सीट जमा किये जाने वाला निगम राजस्व (रूपये में)			
			सेमी० डिलक्स बस	डीलक्स बस	ए०सी० बस	भोल्वो समतुल्य लक्जीरियस बस
1	पटना-राँची	352	602	729	792	1077
2	पटना-टाटा	480	821	994	1080	1469
3	पटना-हजारीबाग	256	438	530	576	783
4	पटना-गढ़वा	294	503	609	662	900
5	पटना-डालटेनगंज	486	831	1006	1094	1487
6	पटना-लातेहार	320	547	662	720	979
7	पटना-चाइबासा	486	831	1006	1094	1487
8	पटना-बोकारो	275	470	569	619	842
9	पटना-धनबाद	333	569	689	749	1019
10	पटना-गुमला भाया फतुहा	435	744	900	979	1331
11	पटना-गिरिडीह	288	492	596	648	881
12	पटना-दुमका	314	537	650	707	961
13	पटना-सिन्दरी	301	515	623	677	921
14	पटना-चक्रधरपुर	461	788	954	1037	1411
15	पटना-देवघर	320	547	662	720	979
16	पटना-गुमला भाया जहानाबाद	410	701	849	923	1255
17	पटना-बहरागोड़ा	557	952	1153	1253	1704

18	मोकामा-बोकारो	307	525	635	691	939
19	बिहारशरीफ-राँची	269	460	557	605	823
20	बिहारशरीफ-टाटा	397	679	822	893	1215
21	बिहारशरीफ-धनबाद	269	460	557	605	823
22	बिहारशरीफ-बोकारो	211	361	437	475	646
23	बिहारशरीफ-धुर्वा	275	470	569	619	842
24	आरा-राँची	416	711	861	936	1273
25	आरा-टाटा भाया मलियाबाग	589	1007	1219	1325	1802
26	आरा-टाटा भाया-पीरो	525	898	1087	1181	1607
27	आरा-बोकारो	339	580	702	763	1037
28	आरा-धनबाद	390	667	807	878	1193
29	आरा-डालटेनगंज	211	361	437	475	646
30	आरा-गिरिडीह	352	602	729	792	1077
31	सासाराम-बोकारो	365	624	756	821	1117
32	सासाराम-चाईबासा	442	756	915	995	1353
33	सासाराम-राँची	365	624	756	821	1117
34	सासाराम-टाटा	493	843	1021	1109	1509
35	सासाराम-डालटेनगंज	141	241	292	317	431
36	सासाराम-गढ़वा	173	296	358	389	529
37	डिहरी-डालटेनगंज	122	209	253	275	373
38	डिहरी-बोकारो	346	592	716	779	1059
39	डिहरी-राँची	346	592	716	779	1059
40	डिहरी-गिरिडीह	378	646	782	851	1157
41	भभुआ-बोकारो	429	734	888	965	1313
42	भभुआ-टाटा	493	843	1021	1109	1509
43	भभुआ-राँची	365	624	756	821	1117
44	भभुआ-धनबाद	422	722	874	950	1291
45	बक्सर-टाटा भाया बिहिया, विक्रमगंज	589	1007	1219	1325	1802
46	बक्सर-राँची	448	766	927	1008	1371
47	बक्सर-बोकारो	371	634	768	835	1135
48	बक्सर-धनबाद	429	734	888	965	1313

49	बक्सर-टाटा भाया ब्रह्मपुर, जगदीशपुर	621	1062	1285	1397	1900
50	बेगुसराय-टाटा	576	985	1192	1296	1763
51	बेगुसराय-बोकारो	346	592	716	779	1059
52	बेगुसराय-हजारीबाग	326	557	675	734	998
53	बेगुसराय-देवघर	186	318	385	419	569
54	बेगुसराय-दुमका	250	428	518	563	765
55	बेगुसराय-धनबाद	403	689	834	907	1233
56	पाली-बोकारो	314	537	650	707	961
57	पाली-राँची भाया औरंगाबाद, डालटेनगंज	269	460	557	605	823
58	पाली-राँची भाया गया, टेकारी, कुर्था	314	537	650	707	961
59	पाली-टाटा	429	734	888	965	1313
60	राँची-सासाराम भाया डालटेनगंज, डेहरी	429	734	888	965	1313
61	राँची-सासाराम भाया चतरा, झोभी	365	624	756	821	1117
62	डालटेनगंज-पटना	262	448	542	590	802
63	गढ़वा-पटना	294	503	609	662	900
64	गुमला-सासाराम	448	766	927	1008	1371
65	गया-राँची	224	383	464	504	685
66	गया-हजारीबाग	128	219	265	288	392
67	गया-टाटा	352	602	729	792	1077
68	गया-बोकारो	224	383	464	504	685
69	गया-धनबाद	224	383	464	504	685
70	गया-डालटेनगंज	192	328	397	432	588
71	गया-देवघर	242	414	501	545	741
72	गया-दुमका	320	547	662	720	979
73	गया-गिरिडीह	208	356	431	468	636
74	गया-चतरा	82	140	170	185	251
75	औरंगाबाद-राँची	256	438	530	576	783
76	औरंगाबाद-टाटा	276	472	571	621	845
77	औरंगाबाद-बोकारो	256	438	530	576	783
78	औरंगाबाद-धनबाद	256	438	530	576	783

79	औरंगाबाद-गिरिडीह	225	385	466	506	689
80	दुर्गानगर-पतरातु	220	376	455	495	673
81	जहानाबाद-राँची	255	436	528	574	780
82	जहानाबाद-बोकारो	255	436	528	574	780
83	जहानाबाद-देवघर	250	428	518	563	765
84	नवादा-राँची	205	351	424	461	627
85	नवादा-टाटा	325	556	673	731	995
86	नवादा-बोकारो	215	368	445	484	658
87	नवादा-हजारीबाग	110	188	228	248	337
88	हिसुआ-राँची	224	383	464	504	685
89	राँची-दाउदनगर	292	499	604	657	894
90	राँची-नवीनगर	300	513	621	675	918
91	जहानाबाद-धनबाद	263	450	544	592	805
92	जहानाबाद-टाटा	394	674	816	887	1206
93	टाटा-नवीनगर	415	710	859	934	1270
94	गुमला-गया	220	376	455	495	673
95	हजारीबाग-गया	128	219	265	288	392
96	राँची-देव	245	419	507	551	750
97	छपरा-राँची	422	722	874	950	1291
98	छपरा-टाटा	608	1040	1259	1368	1860
99	छपरा-बोकारो भाया रामगढ़	442	756	915	995	1353
100	छपरा-हजारीबाग	320	547	662	720	979
101	सीवान-टाटा	602	1029	1246	1355	1842
102	सीवान-राँची	474	811	981	1067	1450
103	सीवान-बोकारो	500	855	1035	1125	1530
104	सीवान-हजारीबाग	378	646	782	851	1157
105	गोपालगंज-टाटा	634	1084	1312	1427	1940
106	मुजफ्फरपुर-राँची	403	689	834	907	1233
107	मुजफ्फरपुर-टाटा	531	908	1099	1195	1625
108	मुजफ्फरपुर-बोकारो	429	734	888	965	1313
109	मुजफ्फरपुर-धनबाद	389	665	805	875	1190

110	मोतिहारी-टाटा	608	1040	1259	1368	1860
111	रक्सौल-टाटा	659	1127	1364	1483	2017
112	बेतिया-टाटा	653	1117	1352	1469	1998
113	हाजीपुर-देवघर	232	397	480	522	710
114	सीतामढ़ी-टाटा	595	1017	1232	1339	1821
115	सीतामढ़ी-बोकारो	487	833	1008	1096	1490
116	दरभंगा-राँची	442	756	915	995	1353
117	दरभंगा-टाटा	570	975	1180	1283	1744
118	दरभंगा-बोकारो	442	756	915	995	1353
119	समस्तीपुर-टाटा	525	898	1087	1181	1607
120	मधुबनी-टाटा	666	1139	1379	1499	2038
121	मधुबनी-बोकारो	474	811	981	1067	1450
122	बोकारो-मुजफ्फरपुर	429	734	888	965	1313
123	सीमडेगा-हाजीपुर	425	727	880	956	1301
124	खगड़िया-धनबाद	305	522	631	686	933
125	खगड़िया-दुमका	210	359	435	473	643
126	सहरसा-टाटा	535	915	1107	1204	1637
127	सहरसा-देवघर	290	496	600	653	887
128	मधेपुरा-टाटा	470	804	973	1058	1438
129	पूर्णियाँ-टाटा	660	1129	1366	1485	2020
130	कटिहार-टाटा	665	1137	1377	1496	2035
131	अररिया-टाटा	700	1197	1449	1575	2142
132	अररिया-हजारीबाग	480	821	994	1080	1469
133	जोगबनी-राँची	575	983	1190	1294	1760
134	किशनगंज-टाटा	728	1245	1507	1638	2228
135	देवघर-नवगछिया	143	245	296	322	438
136	राँची-अररिया	540	923	1118	1215	1652
137	राँची-नवगछिया	441	754	913	992	1349
138	राँची-पूर्णियाँ	541	925	1120	1217	1655
139	बोकारो-पूर्णियाँ	416	711	861	936	1273
140	राँची-सहरसा	455	778	942	1024	1392

141	राँची-कटिहार	510	872	1056	1148	1561
142	देवघर-कटिहार	208	356	431	468	636
143	देवघर-किशनगंज	190	325	393	428	581
144	हजारीबाग-किशनगंज	435	744	900	979	1331
145	पूर्णियाँ-गुमला	550	941	1139	1238	1683
146	मुंगेर-राँची	350	599	725	788	1071
147	मुंगेर-टाटा	476	814	985	1071	1457
148	मुंगेर-बोकारो	325	556	673	731	995
149	मुंगेर-दुमका	200	342	414	450	612
150	मुंगेर-बासुकीनाथ	173	296	358	389	529
151	मुंगेर-हजारीबाग	252	431	522	567	771
152	जमुई-राँची	297	508	615	668	909
153	जमुई-टाटा	425	727	880	956	1301
154	जमुई-बोकारो	276	472	571	621	845
155	भागलपुर-टाटा	532	910	1101	1197	1628
156	भागलपुर-राँची	404	691	836	909	1236
157	भागलपुर-देवघर	125	214	259	281	383
158	भागलपुर-दुमका भाया- हंसडीहा, बौसी, नौनीहाट, महारोमोड़	118	202	244	266	361
159	भागलपुर-हजारीबाग	350	599	725	788	1071
160	सुलतानगंज-जसीडीह	125	214	259	281	383
161	बांका-टाटा	475	812	983	1069	1454
162	गोड्डा-भागलपुर	64	109	132	144	196
163	दुमका-भागलपुर भाया- हंसडीहा, बौसी, ढाकामोड़	110	188	228	248	337
164	देवघर-भागलपुर	125	214	259	281	383
165	देवघर-सुलतानगंज	110	188	228	248	337
166	देवघर-चकाई	38	65	79	86	116
167	देवघर-जमुई	100	171	207	225	306
168	देवघर-गिरीडीह	109	186	226	245	334
169	देवघर-बोकारो	211	361	437	475	646
170	देवघर-मुंगेर	135	231	279	304	413

171	दुमका-चकाई	110	188	228	248	337
172	देवघर-पीरपैती	128	219	265	288	392
173	साहेबगंज-राँची	415	710	859	934	1270
174	राँची-भागलपुर भाया-हजारीबाग, चकाई, देवघर	404	691	836	909	1236
175	राँची-भागलपुर भाया-धनबाद, जामतारा	404	691	836	909	1236
176	राँची-मुंगेर	350	599	725	788	1071
177	बोकारो-तारापुर	307	525	635	691	939

2. निगम की राजस्व राशि उक्त तालिका में प्रति सीट निर्धारित दर के आधार पर परमिट में अंकित खेप एवं सीटों की संख्या के अनुसार गणना कर माहवार अग्रिम राशि जमा करायी जायेगी।
3. अन्य बिन्दु समान होने पर उन परिचालकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अधिक बसें संचालन की क्षमता रखते हों एवं जो पूर्व से निगम के साथ अनुबंधित हैं एवं निगम राजस्व ससमय भुगतान करते आ रहे हैं और उनके विरुद्ध निगम राजस्व बकाया नहीं है।
4. आवेदक द्वारा प्रति बस ₹20,000/-EMD की राशि निगम में जमा की जाएगी। EMD राशि का Demand Draft, Chief Account Officer, B.S.R.T.C, Patna के नाम से जो पटना में देय होगा, जमा किया जायेगा। आवेदन के साथ निविदा राशि एवं EMD नहीं रहने पर आवेदन रद्द किया जायेगा। वैसे आवेदकों जिनके वाहन का परमिट राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नहीं होगा उनका EMD लौटा दिया जायेगा। जिन आवेदकों के वाहन का राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृत हो जाएगा उनका EMD Performance Guarantee के रूप में जमा रहेगा।
5. निगम की राजस्व हिस्सेदारी माहवार अग्रिम जमा करनी होगी।
6. बसों का व्हील वेस 205" या उससे अधिक होगा तथा बस Latest मॉडल की होगी। निगम के निर्देशानुसार प्रत्येक बस में GPS या समकक्ष उपकरण/यंत्र स्थापित करने होंगे।
7. बसों के परिचालन हेतु एकरारनामा 05 वर्ष अवधि के लिए किया जायेगा।
8. मार्गों का परमिट बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
9. परिचालकों द्वारा मोटर वाहन नियमों का पालन किया जायेगा तथा किराया भाड़ा एवं कर संबंधित राज्यों द्वारा समय-समय पर विहित उपबंधों के व्यवस्था के अनुसार होगा।
10. आवेदक एक या एक से अधिक मार्ग के लिए आवेदन दे सकते हैं।
11. आवेदन को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को होगा।
12. आवेदन की तिथि के दिन निगम के बकाएदारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ शपथ-पत्र लगाना होगा कि कहीं से भी काली सूची में नहीं डाले गए हैं तथा भारत के किसी भी न्यायालय से उन्हें दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
14. केवल निबंधित फर्म से ही आवेदन स्वीकार्य होंगे।
15. Individual के मामले में वे 18 वर्ष आयु से कम का नहीं होगा तथा भारत का नागरिक होगा।
16. जिन आवेदकों के वाहन का परमिट राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा स्वीकृत हो जाएगा, उन वाहन स्वामियों को प्रति बस ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपये) बैंक गारंटी जमा करना होगा।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

परिवहन भवन, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना-1

बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय के निम्न मार्गों पर निगम के अधीन बसों के संचालन के इच्छुक वाहन स्वामी/ उद्यमी/ संस्था/ कम्पनी कृपया ध्यान दें।

बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर निगम के अधीन सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न शहरों को बस परिचालन से जोड़ने हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत इच्छुक वाहन स्वामियों से निम्नलिखित मार्गों पर बसों के परिचालन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है :-

बिहार-अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची

क्रम सं०	मार्ग का नाम	बसों की संख्या
01	पूर्णियाँ-भागलपुर	05
02	गोनाहा-पटना	02
03	भभुआ-अघौड़ा	02

बिहार अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग पर आवेदक द्वारा निविदा दो भागों में मुहरबंद लिफाफे में अलग-अलग समर्पित की जायेगी :-

भाग-I तकनीकी निविदा (अलग से मुहरबंद लिफाफे में)

तकनीकी निविदा में निम्नलिखित सूचना अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. पता :-
4. सम्पर्क दूरभाष संख्या/मोबाईल नं०:-
5. कुल आवेदित बसों की संख्या :-
6. निविदा शुल्क की विवरणी :-
7. EMD राशि की विवरणी :-
8. कुल EMD की राशि :-

क्रम संख्या की विवरणी निम्नवत् फॉर्मेट में, जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है:-

क्रम संख्या	मार्गों का नाम	बसों की संख्या	वाहन का मॉडल	बैठान क्षमता

भाग - I निविदा के लिफाफे में निविदा शुल्क ₹5,000/- एवं EMD राशि का डिमांड ड्राफ्ट (₹10,000/-प्रति बस की दर से कुल आवेदित बसों का) संलग्न करना अनिवार्य है।

9. कहीं से भी काली सूची में नहीं डाले जाने एवं भारत के किसी भी न्यायालय से दिवालिया घोषित नहीं किए जाने का शपथ-पत्र।
10. किसी फर्म द्वारा आवेदन समर्पित किए जाने पर फर्म को निबंधित होने का प्रमाण-पत्र।
11. Individual आवेदक होने पर 18 वर्ष आयु से अधिक होने तथा भारत का नागरिक होने का प्रमाण-पत्र।

भाग-II वित्तीय निविदा (अलग से मुहरबंद लिफाफे में)

आवेदक द्वारा वित्तीय निविदा नीचे दिये गये फॉरमेट में समर्पित की जायेगी।

क्रम सं०	मार्गों का नाम	बसों की संख्या	निगम में माहवार जमा की जाने वाली राशि (प्रतिशत में)	
			अंको में	शब्दों में

1. वित्तीय निविदा उन्हीं आवेदकों का खोला जाएगा जिनका तकनीकी निविदा स्वीकृत होगा।
2. वित्तीय निविदा निगम में माहवार जमा की जाने वाली राशि (प्रतिशत में) अंक एवं अक्षरों दोनों में अंकित किया जायेगा।
3. निविदा दाता द्वारा भरे गये राशि में ओभर राईटिंग स्वीकार्य नहीं होगा।

भाग- I और भाग-II दोनों अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को भेजने से पूर्व एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद किया जायेगा जिसपर “बिहार अन्तर्देशीय मार्गों पर PPP बसों का संचालन” अंकित रहेगा।

अन्तर्देशीय मार्गों पर परिचालन की शर्तें :

1. परिचालकों का चयन अधिकतम राजस्व प्रतिशत देने के आधार पर किया जायेगा। निगम की राजस्व राशि प्रति सीट निर्धारित दर के आधार पर परमिट में अंकित खेप एवं सीटों की संख्या के अनुसार गणना कर माहवार अग्रिम राशि जमा करायी जायेगी। परन्तु राजस्व का प्रतिशत प्रत्येक बस प्रति खेप की कुल आय का 07 % से कम स्वीकार्य नहीं होगा।
2. अन्य बिन्दु समान होने पर उन परिचालकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अधिक बसें पर संचालन की क्षमता रखते हों।
3. आवेदक द्वारा निविदा राशि ₹ 5,000 एवं प्रति बस ₹10,000/-EMD की राशि निगम में (भाग-I तकनीकी निविदा में) जमा की जाएगी। तकनीकी निविदा निर्धारित EMD के साथ ही समर्पित की जायेगी। EMD राशि का Demand Draft “Chief Account Officer B.S.R.T.C.” Payable at Patna, के नाम से जमा किया जायेगा। निविदा के साथ EMD नहीं रहने पर आवेदन रद्द किया जायेगा। असफल आवेदकों का EMD लौटा दिया जायेगा। सफल आवेदकों का EMD सुरक्षा जमा राशि के तहत समायोजित किया जायेगा।
4. चयनित परिचालकों को प्रति बस एक लाख सुरक्षित राशि जमा करनी होगी।

5. निगम की राजस्व हिस्सेदारी माहवार अग्रिम जमा करनी होगी।
6. 4200mm व्हील वेस के वाहनों को एक RTA के लिए मान्य होगा इससे लम्बी दूरी के लिए 4920mm या उससे अधिक व्हील वेस एवं Latest बस की मॉडल को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. बसों के परिचालन हेतु एकरारनामा 05 वर्ष अवधि के लिए किया जायेगा।
8. मार्गों का परमिट बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
9. परिचालकों द्वारा मोटर वाहन नियमों का पालन किया जायेगा तथा किराया भाड़ा एवं कर संबंधित राज्यों द्वारा समय-समय पर विहित उपबंधों के व्यवस्था के अनुसार होगा।
10. आवेदक एक या एक से अधिक मार्ग के लिए आवेदन दे सकते हैं। EMD की राशि की गणना आवेदित बसों की संख्या के आधार पर की जायगी।
11. निविदा को आंशिक/ पूर्ण रूप से स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को होगा।
12. निगम के बकाएदारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. भाग-I तकनीकी निविदा आवेदन प्रपत्र पर जमा किया जाएगा जो परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है। आवेदन प्रपत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर अनिवार्य है।
14. भाग-II वित्तीय निविदा आवेदन प्रपत्र पर जमा किया जाएगा जो परिशिष्ट-2 पर सलंग्न है। आवेदन प्रपत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

आवेदकों के योग्यता हेतु निर्धारित शर्तें:-

1. आवेदकों को आवेदन पत्र (भाग-I तकनीकी निविदा) के साथ शपथ-पत्र लगाना होगा कि कहीं से भी काली सूची में नहीं डाले गए हैं तथा भारत की किसी भी न्यायालय से उन्हें दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
2. अगर कोई फर्म आवेदन करना चाहता है तो वैसा फर्म निबंधित होगा।
3. Individual के मामले में वो 18 वर्ष आयु से कम का नहीं होगा तथा भारत का नागरिक होगा।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

परिवहन भवन, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना-1

बिहार-उत्तर प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर निगम के अधीन बसों के संचालन के इच्छुक वाहन स्वामी/ उद्यमी/ संस्था/ कम्पनी कृपया ध्यान दें।

बिहार-उत्तर प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर निगम के अधीन सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु इन प्रदेशों के विभिन्न शहरों को बस परिचालन से जोड़ने हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत इच्छुक वाहन स्वामियों से निम्नलिखित मार्ग समूहों (कलस्टर्स) पर बसों के परिचालन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है :-

बिहार-उत्तर प्रदेश मार्गों की सूची

कलस्टर सं०	मार्गों का नाम	मार्गों की दूरी (कि०मी०)	बसों की संख्या
UP-1	अलीनगर-डेहरी	120	03
	भभुआँ-वाराणसी वाया धरोली, चन्दौली	78	02
UP-2	पटना-आरा-बलिया वाया बक्सर	152	14
	बलिया-बक्सर वाया फेफना, बयानी, चितबड़ागाँव, भरौली	36	01
	भभुआँ-वाराणसी वाया नौबतपुर	82	02
	बक्सर-उजियारघाट	09	02
UP-3	रक्सौल-गोरखपुर वाया मोतिहारी	308	03
UP-4	छपरा-गोरखपुर	216	08
	सीवान-गोरखपुर	142	02
	देवरिया-पटना	220	07
	रक्सौल-गोरखपुर वाया पिपराकोठी, गोपालगंज	255	02
UP-5	गया-सारनाथ वाया वाराणसी, औरंगाबाद, डेहरी	282	03
	रामनगर-भभुआँ वाया जमालपुर, सिन्देरपुर, भीखमपुर, चकिया, बेन, धरौली	70	01
	छपरा-बलिया वाया बैरिया	57	01
	आजमगढ़-मुजफ्फरपुर वाया बलिया, माझीघाट	310	02
	लखनऊ-वाराणसी-गया वाया औरंगाबाद	468	02

बिहार उत्तरप्रदेश मार्ग पर आवेदक द्वारा निविदा दो भागों में मुहरबंद लिफाफे में अलग-अलग समर्पित की जायेगी :-

भाग-I तकनीकी निविदा (अलग से मुहरबंद लिफाफे में)

तकनीकी निविदा में निम्नलिखित सूचना अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. पता :-
4. सम्पर्क दूरभाष संख्या/मोबाईल नं० :-
5. कुल आवेदित बसों की संख्या :-
6. निविदा शुल्क की विवरणी :-
7. EMD राशि की विवरणी :-
8. कुल EMD की राशि :-

कलस्टर्स की विवरणी निम्नवत् फॉरमेट में, जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है:-

कलस्टर सं०	मार्गों का नाम	मार्गों की दूरी (कि०मी०)	बसों की संख्या	वाहन का मॉडल	बैठान क्षमता

भाग - I निविदा के लिफाफे में निविदा शुल्क ₹5,000/- एवं EMD राशि का डिमांड ड्राफ्ट (₹50,000/-प्रति कलस्टर की दर से कुल आवेदित बसों का) संलग्न करना अनिवार्य है।

9. कहीं से भी काली सूची में नहीं डाले जाने एवं भारत के किसी भी न्यायालय से दिवालिया घोषित नहीं किए जाने का शपथ-पत्र।
10. किसी फर्म द्वारा आवेदन समर्पित किए जाने पर फर्म को निबंधित होने का प्रमाण-पत्र।
11. Individual आवेदक होने पर 18 वर्ष आयु से अधिक होने तथा भारत का नागरिक होने का प्रमाण-पत्र।

भाग - II वित्तीय निविदा (अलग से मुहरबंद लिफाफे में)

आवेदक द्वारा वित्तीय निविदा नीचे दिये गये फॉरमेट में समर्पित की जायेगी।

कलस्टर सं०	मार्गों का नाम	मार्गों की दूरी (कि०मी०)	बसों की संख्या	निगम में माहवार जमा की जाने वाली राशि (प्रतिशत में)	
				अंको में	शब्दों में

1. वित्तीय निविदा उन्हीं आवेदकों का खोला जाएगा जिनका तकनीकी निविदा स्वीकृत होगा।
2. वित्तीय निविदा निगम में माहवार जमा की जाने वाली राशि (प्रतिशत में) अंक एवं अक्षरों दोनों में अंकित किया जायेगा।
3. निविदादाता द्वारा भरे गये राशि में ओभर राईटिंग स्वीकार्य नहीं होगा।

भाग- I और भाग -II दोनों अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को भेजने से पूर्व एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद किया जायेगा जिसपर “बिहार-उत्तर प्रदेश मार्गों पर PPP बसों का संचालन” अंकित रहेगा।

बिहार-उत्तरप्रदेश मार्गों पर परिचालन की शर्तें :

1. विभिन्न उपलब्ध मार्गों को BSRTC ने कलस्टर (समूह) का रूप दिया है। आवेदक/ आवेदकों को न्यूनतम एक कलस्टर के लिए आवेदन देना होगा। कलस्टर के आंशिक मार्गों पर आवेदन स्वीकार्य होगा।
2. परिचालकों का चयन अधिकतम राजस्व प्रतिशत देने के आधार पर किया जायगा। राजस्व की गणना बसों के कुल बैठान क्षमता एवं प्रति खेप के आधार पर की जायगी। परन्तु राजस्व का प्रतिशत प्रत्येक बस प्रति खेप की कुल आय का 10% से कम स्वीकार्य नहीं होगा।
3. अन्य बिन्दु समान होने पर उन परिचालकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अधिक बसें/ कलस्टर पर संचालन की क्षमता रखते हों।
4. आवेदक द्वारा निविदा राशि ₹ 5,000/- एवं प्रति कलस्टर ₹ 50,000/-EMD की राशि निगम में (भाग-I तकनीकी निविदा में) जमा की जाएगी। तकनीकी निविदा निर्धारित EMD के साथ ही समर्पित की जायेगी। EMD राशि का Demand Draft “**Chief Account Officer B.S.R.T.C.**” Payable at Patna, के नाम से जमा किया जायेगा। निविदा के साथ निविदा शुल्क एवं EMD नहीं रहने पर आवेदन रद्द किया जायेगा। असफल आवेदकों का EMD लौटा दिया जायेगा। सफल आवेदकों का EMD सुरक्षा जमा राशि के तहत समायोजित किया जायेगा।
5. चयनित परिचालकों को प्रति बस एक लाख सुरक्षित राशि जमा करनी होगी।
6. निगम की राजस्व हिस्सेदारी माहवार अग्रिम जमा करनी होगी।
7. बसों का व्हील वेस 205” या उससे अधिक होगा तथा बस Latest मॉडल की होगी।
8. बसों के परिचालन हेतु एकरारनामा 05 वर्ष अवधि के लिए किया जायेगा।
9. मार्गों का परमिट बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
10. परिचालकों द्वारा मोटर वाहन नियमों का पालन किया जायेगा तथा किराया भाड़ा एवं कर संबंधित राज्यों द्वारा समय-समय पर विहित उपबंधों के व्यवस्था के अनुसार होगा।
11. आवेदक एक या एक से अधिक मार्ग समूह (कलस्टर) के लिए आवेदन दे सकते हैं। निविदा को आंशिक/ पूर्ण रूप से स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को होगा।
12. वैसे आवेदक जो पूर्व में बिहार-उत्तर प्रदेश राज्य मार्गों पर बस चलाने हेतु आवेदन निगम में दे चुके हैं, उन्हें नये सिरे से नई योजना के तहत इस निविदा में आवेदन करना होगा।
13. निगम के बकाएदारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
14. भाग -I तकनीकी निविदा आवेदन प्रपत्र पर जमा किया जाएगा जो परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है। आवेदन प्रपत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर अनिवार्य है।
15. भाग -II वित्तीय निविदा आवेदन प्रपत्र पर जमा किया जाएगा जो परिशिष्ट-2 पर सलंग्न है। आवेदन प्रपत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

निविदाओं का समर्पण:-

निविदा (परिशिष्ट- 1 एवं परिशिष्ट- 2) जमा करने की अंतिम तिथि 12-02-2018 को 3.00 बजे अपराह्न तक है। बिहार-उत्तरप्रदेश मार्ग पर आवेदक द्वारा निविदा शुल्क ₹ 5,000 एवं प्रति कलस्टर ₹ 50,000/-EMD की राशि, बिहार-झारखंड मार्ग आवेदक द्वारा निविदा शुल्क ₹ 5,000 एवं प्रति बस ₹ 20,000/-EMD की राशि एवं अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर आवेदक द्वारा निविदा शुल्क ₹ 5,000 एवं प्रति बस ₹ 10,000/-EMD की राशि Demand Draft “**Chief Account Officer B.S.R.T.C.**” Payable at Patna, के पदनाम से पटना स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर भुगतये होगा। तकनीकी निविदा इसी दिन 4.00 बजे अपराह्न में, आवेदकों के समक्ष जो उपस्थित रहना चाहते हों, खोली जायगी। वित्तीय निविदा उन्हीं आवेदकों का खुलेगा जिनका तकनीकी निविदा स्वीकृत होगा। मुहरबन्द निविदा प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन भवन, वीरचंद पटेल पथ, पटना-800001 बिहार, के पते पर भेजा जा सकता है। प्रस्तावित निविदा उपरोक्त दर्शाये गये पते पर डाक/ कुरियर द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से, निर्धारित तिथि तथा निर्धारित समय तक अथवा उससे पूर्व भेजा जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। इच्छुक आवेदक इस विषय में जानकारी के लिए दूरभाष संख्या-0612-2223527 पर किसी कार्यदिवस पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रशासक

**लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन
निगम के नियंत्रणाधीन बसों के परिचालन हेतु आवेदन प्रपत्र**

बिहार-उत्तर प्रदेश बिहार-झारखंड बिहार अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों

(भाग-I तकनीकी)

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. पता :-
4. सम्पर्क दूरभाष संख्या/मोबाईल नं०:-
5. कुल आवेदित बसों की संख्या:-.....
6. निविदा शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट) की विवरणी:
राशि, बैंक का नाम
- ड्राफ्ट नं०....., दिनांक
7. EMD डिमांड ड्राफ्ट की विवरणी:
राशि, बैंक का नाम
- ड्राफ्ट नं०....., दिनांक
8. कुल EMD की राशि :

कलस्टर सं०/क्रम सं०	मार्गों का नाम	मार्गों की दूरी (कि०मी०)	बसों की संख्या	वाहन का मॉडल	बैठान क्षमता

(जो लागू न हो उसे x का चिन्ह लगाये)

आवेदन की तिथि :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

**लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन
निगम के नियंत्रणाधीन बसों के परिचालन हेतु आवेदन प्रपत्र**

बिहार-उत्तर प्रदेश बिहार-झारखंड बिहार अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों

(भाग-II वितीय)

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. पता :-
4. सम्पर्क दूरभाष संख्या/ मोबाईल नं०:-
5. कुल आवेदित बसों की संख्या:-.....

कलस्टर सं०/क्रम सं०	मार्गों का नाम	मार्गों की दूरी (कि०मी०)	बसों की संख्या	निगम में माहवार जमा की जाने वाली राशि (प्रतिशत में)	
				अंको में (₹)	शब्दों में (₹)

(जो लागू न हो उसे x का चिह्न लगाये)

आवेदन की तिथि :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर